# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

# U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14, अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN:U32201UP1999SGC024928.


**संख्या–310–अधि0प्रब0–03/पाकालि/2023–3(357)ई0एम0–03/2005** **दिनांकः 21.02. 2023**

पंजीकृत
ई–मेल

**प्रबन्ध निदेशक,**
**पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्याचंल/केस्को,**
**विद्युत वितरण निगम लि0,**
**वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ/कानपुर।**

**विषयः– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत करने की निर्धारित समय–सीमा को विशेष परिस्थितियों में शिथिलता प्रदान करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

कृपया उपरोक्त विषयक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–3741–औ0सं0–17/पाकालि/2019, दिनांक 25.10.2019 **(छायाप्रति सलंग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके माध्यम से चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत करने की निर्धारित समय–सीमा को यथासंशोधित कर 01–वर्ष करते हुए, इस अवधि के बाद 01–वर्ष तक शिथिलता प्रदान करने हेतु अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा 02–वर्ष से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को विशेष परिस्थितियों में गुणावगुण के आधार पर शिथिलता प्रदान करने हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल एवं डिस्काम से सम्बन्धित प्रकरणों में डिस्काम के निदेशक मण्डल को अधिकृत किया गया है।

**प्रायः** यह देखा गया है कि कार्मिकों/पेंशनरों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को सम्बन्धित कार्यालय में ससमय प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत करने की निर्धारित समय–सीमा 01–वर्ष के व्यतीत होने के उपरान्त विलम्ब से प्रस्तुत किए गये चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को कार्यालय स्तर पर पूर्ण रूप से जाँच–पड़ताल एवं विशेष परिस्थिति/कारण के बिना ही शिथिलता प्रदान करने हेतु कारपोरेशन (मुख्यालय) को अग्रसारित किया जा रहा है।

**अतः** इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है किः–

1. चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को सम्बन्धित कार्यालय में ससमय प्रस्तुत करने हेतु कार्मिकों/पेंशनरों को अपने स्तर से निदेशित करने का कष्ट करें।
2. चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत करने की निर्धारित समय–सीमा 01–वर्ष के व्यतीत होने के उपरान्त विलम्ब से प्रस्तुत किए गये चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को कार्यालय स्तर पर पूर्ण रूप से जाँच–पड़ताल कर विशेष परिस्थिति/कारण सहित ही शिथिलता प्रदान करने हेतु कारपोरेशन (मुख्यालय) को अग्रसारित कराने का कष्ट करें।

**संलग्नकः यथोपरि।**

**भवदीय,**

/

**(हिमांशु वार्ष्णेय)**
**उप सचिव (अ0प्र0–03)**

—2—

**संख्या–310(I)–अधि0प्रब0–03/पाकालि/2023, तद्दिनांकः–**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उपसचिव/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह अपने स्तर से भी इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट **www.uppcl.org** पर अपलोड करने हेतु।
11. कट फाईल।

(हिमांशु वार्ष्णेय)
उप सचिव (अ0प्र0–03)